



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी परिषद  
(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. ३३१० / एनआर-३ / आई.एम.पी.सेल / मनरेगा / ११ भोपाल, दिनांक १७/०७/२०११  
प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.  
जिला-शिवपुरी एवं मुरैना (म.प्र.)

विषय:- अशासकीय संस्था फाउण्डेशन फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड एक्शन (एफडीआरए) को  
काली सूची में शामिल किये जाने बावत्।  
संदर्भ:- संचालक, वाटरशेड मिशन का पत्र क्र. 9257/22/वि-9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी  
/2011 दि. 03/06/11, जिला पंचायत का पत्र क्र. 1459 दि.01/06/11 तथा  
इस कार्यालय का पत्र क्र. 4415 दिनांक 30/04/2010

—0—

विषयांतर्गत संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के संदर्भित पत्रानुसार राज्य स्तर से चयनित अशासकीय संस्था फाउण्डेशन फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड एक्शन (एफडीआरए) को काली सूची में शामिल किया गया है। अतः संस्था को मनरेगा मद से वित्त पोषित जलग्रहण परियोजनाएँ तथा समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु किये गये अनुबंध के क्रम में राज्य स्तर से की गई कार्यवाही अनुसार तत्काल पृथक किया जावें। संस्था द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के तहत अद्यतन कराये गये भौतिक कार्य एवं वित्तीय व्यय का शतप्रतिशत सत्यापन एवं अंकेक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार की कार्यवाही की जाकर कृत कार्यवाही से अवगत करावें।

१७/०७/११  
(शिव शेखर शुक्ला)

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,

पृ.क्र. ३३११ / एनआर-३ / आई.एम.पी.सेल / मनरेगा / ११ भोपाल, दिनांक १७/०७/२०११  
प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, समस्त संभाग
2. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल
3. कलेक्टर, जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
4. निदेशक, अशासकीय संस्था फाउण्डेशन फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड एक्शन (एफडीआरए), एम. एक्स.-३९ ई-७ अरेरा कॉलोनी, भोपाल-४६२०१६ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

१७/०७/११  
आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,